न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 04/2021

1. यादराम पुत्र रेवड़्या जाति माली निवासी अन्छापुरा तहसील महवा जिला दौसा (फौत)
   1.1 धारासिंह पुत्र यादराम जाति माली निवासी अन्छापुरा तहसील महवा जिला दौसा

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा।

...रेस्पोडेन्ट

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 22.02.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम यादराम मु0नं0 14/2021 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवलकिशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.10.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने दिनाक 22.02.2021 को ग्राम अन्छापुरा तहसील महवा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1062/1330 रकबा 0.04 है0 पर गेहूँ व खसरा नंबर 1083 रकबा 0.01 है. भूमि पर मेथी बुवाई कर अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 90 दिवस का सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं अपीलांट का पुत्र यादराम स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट यादराम पुत्र रेवडया का स्वर्गवास हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा द्वारा अपीलांट को ग्राम अन्छापुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1062/1330 रकबा 0.04 है0 पर गेहूँ व खसरा नंबर 1083 रकबा 0.01 है. भूमि पर मेथी बुवाई कर अतिचार करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखली, पैनल्टी व 90 दिवस के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दंडित किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त नहीं की गई है। चूकि अपीलांट का स्वर्गवास हो गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.2.2021 प्रकरण संख्या 14/2021 निरस्त फरमावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति पर अपीलांट के पुत्र के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट की दिनांक 10.5.2021 को मृत्यु दिनांक

10.5.2021 को हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित होगा।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2077 में खसरा नंबर 1062/1330 रकबा 0.04 है0 पर गेहूँ व खसरा नंबर 1083 रकबा 0.01 है. भूमि पर मेथी बुवाई पर कब्जा करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है । चूंकि दिनांक 10.5.2021 को अपीलांट यादराम की मृत्यु हो गई है, जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट यादराम की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाना न्याय हित में उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश में से सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा